कार्यालय आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक

खाद्य सुरक्षा प्रशासन, मध्यप्रदेश, भोपाल

प्रेस नोट

भोपाल, दिनांक: ___________ अगस्त 2026

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत जनस्वास्थ्य की सुरक्षा के दृष्टिगत खाद्य प्रशासन, मध्यप्रदेश द्वारा "मदर लाइट लाल मिर्च पावडर" एवं "मदर लाइट हल्दी पावडर" के संबंधित बैचों को बाजार से वापस लेने (Food Recall) के निर्देश जारी किए गए हैं।

जिला जबलपुर में दिनांक 17.11.2025 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संदीप किराना, रेलवे फाटक, वार्ड नं. 12, खितौला, सिहोरा, जिला जबलपुर से उक्त खाद्य पदार्थों के नमूने लिये गए थे। नमूनों को जांच हेतु राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, भोपाल भेजा गया था।

प्रयोगशाला की रिपोर्ट के अनुसार दोनों खाद्य पदार्थ असुरक्षित (Unsafe) पाए गए हैं। परीक्षण रिपोर्ट का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	खाद्य पदार्थ	बैच/लॉट नंबर	Sample Code	प्रयोगशाला रिपोर्ट
1	मदर लाइट लाल मिर्च पावडर, 200 ग्राम	0912	MM/JBP/167767/115/25	FTL/SV/R-17337, दिनांक 06.02.2026
2	मदर लाइट हल्दी पावडर, 200 ग्राम	0913	MM/JBP/167768/116/25	FTL/SV/R-17338, दिनांक 06.02.2026

उक्त खाद्य पदार्थों के संबंध में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 46(4) के उपलब्ध वैधानिक प्रक्रिया के अनुसार संबंधित खाद्य कारोबारकर्ता एवं निर्माता को द्वितीय भाग के नमूने की निर्दिष्ट प्रयोगशाला में जांच कराने का अवसर प्रदान किया गया था। उपलब्ध अभिलेखानुसार निर्धारित अवधि में अपील प्रस्तुत नहीं की गई।

जनस्वास्थ्य पर संभावित प्रतिकूल प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 28 तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य प्रत्याह्वान प्रक्रिया) विनियम, 2017 के प्रावधानों के अंतर्गत उक्त दोनों बैचों का Food Recall किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

उपभोक्ताओं, विक्रेताओं एवं खाद्य कारोबारकर्ताओं से अपील है कि यदि उनके पास निम्नलिखित उत्पाद उपलब्ध हों, तो उनका उपयोग अथवा विक्रय न करें:-

- मदर लाइट लाल मिर्च पावडर – 200 ग्राम — Batch/Lot No. 0912
- मदर लाइट हल्दी पावडर – 200 ग्राम — Batch/Lot No. 0913

विक्रेताओं एवं वितरकों को निर्देशित किया गया है कि संबंधित बैचों की बिक्री एवं वितरण तत्काल रोककर रोककर उपलब्ध स्टॉक को पृथक रखें तथा Food Recall प्रक्रिया के अंतर्गत वापस करें।

निर्माता M/s KMC Agro, Lal Nagar, थाना काकोरी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश – 227107 को संबंधित बैचों की traceability सुनिश्चित करते हुए distribution chain से उत्पाद वापस लेने तथा संबंधित खाद्य कारोबारकर्ताओं को आवश्यक सूचना देने के निर्देश दिए गए हैं।

खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा संबंधित जिला अधिकारियों के माध्यम से Food Recall की निगरानी, में उपलब्ध स्टॉक का सत्यापन तथा अनुपालन की समीक्षा की जाएगी। Recall की कार्रवाई को FSSAI के प्रचलित निर्देशों के अनुसार FoSCoS में भी दर्ज एवं monitor किया जाएगा।

खाद्य सुरक्षा प्रशासन, मध्यप्रदेश नागरिकों से अपील करता है कि वे पैकेट पर अंकित ब्रांड, उत्पाद का नाम तथा Batch/Lot Number अवश्य जांचें और उपरोक्त दोनों बैचों के उत्पाद का उपयोग न करें।

✗ खाद्य सुरक्षा प्रशासन, मध्यप्रदेश ✗